रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271455
CG-DL-E-31032026-271455

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948
No. 231] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2026

फा.सं. सी.ई.ए.-पी.एस.-16/1/2021-सी.ई.आई. प्रभाग.— चूंकि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) संशोधन विनियमावली, 2025 के प्रारूप का विज्ञापन देने के लिए सार्वजनिक सूचना, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 177 के उप-धारा (2) के साथ-साथ विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 53 और विद्युत (पूर्व प्रकाशन प्रक्रिया) नियम, 2005 के नियम 3 के उप-नियम (2) के अधीन आवश्यकतानुसार, छह समाचार पत्र दैनिकों में प्रकाशित की गई थी, ताकि उक्त प्रारूप विनियमावली की सार्वजनिक प्रतियां उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, संभावित रूप से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जा सकें;

तथा चूंकि समाचार पत्रों में विज्ञापित सार्वजनिक सूचना तथा उक्त प्रारूप विनियमावली की प्रति 20 जून, 2025 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थी;

तथा चूंकि जनता से प्राप्त उक्त प्रारूप विनियमावली पर आपत्तियों एवं सुझावों पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है:

अतः अब, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 177 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 53 के साथ पठित, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यहां केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियमावली, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) संशोधन विनियम, 2026 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2027 से लागू होंगे।

2. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ङ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

(ङक) "बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली" से विद्युत प्रणाली से जुड़ी एक स्थिर प्रणाली अभिप्रेत है जिसका उपयोग विद्युत रासायनिक सामग्री के माध्यम से विद्युत ऊर्जा संग्रहीत करने के लिए किया जाता है, जिसमें सामान्यतः बैटरी, पावर रूपांतरण प्रणाली और बैटरी प्रबंधन प्रणाली शामिल होती है:

(ङख) " बैटरी प्रबंधन प्रणाली" से एक ऐसी प्रणाली अभिप्रेत है जो सुरक्षित संचालन प्राप्त करने के लिए बैटरियों को नियंत्रित करती है, यह बैटरियों की ऊर्जा का संतुलन भी बनाती है और उनकी स्थिति की निगरानी करती है।

3. उक्त विनियमों में, विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (यय) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(ययक) "बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली में पावर रूपांतरण प्रणाली" इन्वर्टर, रेक्टिफायर, नियंत्रक और संबद्ध पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली के समेकित तंत्र को संदर्भित करती है जो बैटरी में संग्रहीत प्रत्यक्ष धारा शक्ति को विद्युत प्रणाली में प्रविष्ट करने (अनावेशन) के लिए प्रत्यावर्ती धारा शक्ति में परिवर्तित करती है, और विलोमतः (आवेशन)।

4. उक्त विनियमों में, विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ययण) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

(ययणक) "वॉक-इन इकाइयाँ या प्रणाली" का अर्थ एक पूर्वनिर्मित भवन है जिसमें बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली होती है और इसमें ऐसे दरवाजे शामिल होते हैं जो कर्मियों को उपकरणों के रखरखाव, परीक्षण और सेवा के लिए वॉक-इन पहुंच प्रदान करते हैं।

5. उक्त विनियमों में, विनियम 122 के पश्चात, निम्नलिखित अध्याय और विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"अध्याय 10क

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यकताएँ

122(क). बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यकताएँ- इस अध्याय के अंतर्गत विनियम बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली पर लागू होंगे, जो अध्याय 1 से 7 और 14 में प्रदान किए गए विनियमों के अतिरिक्त होंगे।

122(ख). सामान्य सुरक्षा विचार- (1) बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को चार्ज और डिस्चार्ज करने के लिए उपयोग की जाने वाली पावर रूपांतरण प्रणाली को चार्ज की जाने वाली बैटरी की रसायन विज्ञान के लिए डिजाइन किया जाएगा।

(2) बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को द्वि-दोष सहनशीलता के साथ डिजाइन किया जाएगा ताकि सभी परिस्थितियों में, जिनमें ओवरचार्ज, ओवर डिस्चार्ज, शॉर्ट सर्किट और निर्दिष्ट तापमान सीमा के बाहर संचालन शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, विनाशकारी विफलताओं को रोका जा सके:

स्पष्टीकरण: संदेह दूर करने के लिए, यहां स्पष्ट किया जाता है कि "द्वि-दोष" से तात्पर्य प्रणाली की दो स्वतंत्र दोष उत्पन्न होने के बाद भी सुरक्षित रूप से संचालन जारी रखने या सुरक्षित रूप से बंद करने की क्षमता से है।

(3) बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का परीक्षण प्रासंगिक मानक के अनुसार किया जाएगा।

(4) सेल, मॉड्यूल, रैक, कंटेनर और साइट - विशिष्ट स्थापना के स्तर पर अग्नि और विस्फोट सुरक्षा प्रासंगिक मानकों के अनुसार होगी।

(5) (क) बैटरी प्रबंधन प्रणाली सेल, मॉड्यूल और रैक स्तर पर वोल्टेज, तापमान और थर्मल रनवे के साथ-साथ रैक स्तर पर करंट की निगरानी और रिकॉर्डिंग करेगी:

परंतु निगरानी किए गए पैरामीटर के मूल उपकरण निर्माता के विनिर्देशों के अनुसार संचालन सीमा से अधिक होने की स्थिति में दृश्य-श्रव्य चेतावनी सक्रिय की जाएंगी;

परंतु यह और कि तापमान मूल उपकरण निर्माता द्वारा अनुशंसित मूल्यों से अधिक होने पर बैटरी प्रबंधन प्रणाली बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बंद कर देगी।

(ख) पावर रूपांतरण प्रणाली पूरी तरह से स्वचालित और बिना पर्यवेक्षण संचालन, जिसमें विद्युत प्रणाली के साथ सिंक्रनाइजेशन और विद्युत प्रणाली से डिस्कनेक्ट होना शामिल है, करने में सक्षम होगी और इसमें घटक विफलता और असामान्य संचालन पैरामीटर की स्थिति में स्वयं को क्षति से बचाने के लिए आत्म-सुरक्षात्मक और नैदानिक सुविधाएं शामिल होंगी।

(6) (क) शीतलक पाइपलाइन को लाइव विद्युत भागों पर रिसाव को कम करने के लिए रूट और सुरक्षित किया जाएगा।

(ख) तरल शीतलन प्रणाली की विफलता, जिसमें शीतलन पाइपलाइनों में कोई भी दोष शामिल है, से ऐसा रिसाव नहीं होना चाहिए जो बैटरी पैक के अंदर की सेलों का शॉर्ट सर्किटिंग कर सके या जोखिमपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर सके।

122(ग). बैटरी कंटेनर- (1) बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कंटेनर में विस्फोट सुरक्षा होगी, जिसमें ज्वलनशील गैसों के सुरक्षित रिलीज़ और आंतरिक दबाव को सुरक्षित सीमा के भीतर बनाए रखने के लिए एक बलपूर्वक वायु संचार प्रणाली और स्वचालित लूवर होंगे।

(2) प्रासंगिक मानकों के अनुसार प्रवेश सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

(3) वॉक-इन इकाइयाँ या प्रणाली, यदि लागू हों, जिसमें बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के प्रवेश और निकास शामिल हैं, प्रासंगिक मानक के अनुसार होंगे।

122(घ). उपकरण स्थान- विभिन्न बैटरी रसायन विज्ञान जैसे लिथियम-आयन, निकेल कैडमियम और शीशा अम्ल बैटरी के लिए, आसन्न बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के घेरे के साथ-साथ निकटतम भवन के लिए न्यूनतम स्थान पृथक्करण प्रासंगिक मानक के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

122(ङ). वायु संचार- (1) बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग तथा शीतलन प्रणाली उचित तापीय प्रबंधन के लिए प्रासंगिक मानकों के अनुसार स्थापित की जाएंगी।

(2) बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के घेरे के अंदर ज्वलनशील पदार्थों की सांद्रता को सीमित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र प्रदान किया जाएगा, जो प्रासंगिक मानक के अनुरूप होगा:

परंतु यांत्रिक वेंटिलेशन प्रणाली की विफलता की स्थिति में, प्रणाली बैटरी कंटेनर के अंदर ज्वलनशील पदार्थों की सांद्रता को सुरक्षित सीमा के भीतर बनाए रखने के लिए एक बंदी प्रारंभ करेगी।

122(च). जोखिम पहचान और शमन प्रणाली- (1) बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में धुएं, गैस, ऊष्मा और लौ के लिए प्रासंगिक मानक के अनुसार जोखिम पहचान प्रणाली होंगी और उनकी निगरानी की जाएगी।

(2) प्रत्येक बैटरी कंटेनर में प्रासंगिक मानक के अनुसार स्वचालित अग्नि शमन प्रणाली प्रदान की जाएगी।

(3) स्थापित अग्नि शमन प्रणाली के घटकों को परिवेशी परिस्थितियों और अनाधिकृत पहुंच से संरक्षित किया जाएगा, साथ ही निरीक्षण और रखरखाव के लिए पहुंच में आसानी सुनिश्चित की जाएगी।

122(छ). इलेक्ट्रोलाइट रिसाव- ऐसी बैटरियों के मामले में जिनमें द्रव रूप में अम्लीय या क्षारीय जलीय इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट रिसाव को प्रासंगिक मानकों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा।

122(ज). प्रकाश **व्यवस्था और संकेतक- (1)** परिवृत्त कार्य स्थानों में प्रासंगिक मानक के अनुसार स्वचालित प्रारंभ के साथ प्रकाश व्यवस्था का एक अलग आपातकालीन स्रोत प्रदान किया जाएगा।

(2) प्रकाश व्यवस्था और संकेतक का स्थान और विनिर्देश, प्रासंगिक मानक के अनुसार, साइट तक सुरक्षित पहुंच और मार्गदर्शन सुनिश्चित हो सके।

122(झ). सुरक्षा प्रणाली- (1) बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापनाओं को अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए कम से कम 1.8 मीटर ऊंचाई की बाड़बंदी द्वारा संरक्षित किया जाएगा।

(2) क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, गति या ग्लास तोड़ संवेदक और निगरानी एवं प्रतिक्रिया प्रणाली से जुड़े चेतावनी उपकरणों की स्थापना उपयुक्त स्थानों पर प्रदान की जाएगी।

122(ञ). आपातकालीन रोक- (1) सुरक्षा समस्या या बैटरी विसंगति का पता चलने की स्थिति में, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के प्रभावित खंड को मूल उपकरण निर्माता के विनिर्देशों के अनुसार पूर्व-निर्धारित अवधि के भीतर स्वचालित रूप से बंद कर दिया जाएगा।

(2) मैनुअल आपातकालीन रोक बटन या स्विच या तंत्र आसानी से पहुंच योग्य और दृश्यमान स्थानों पर रखे जाएंगे।

122(ट). भूमिसंपर्क **(अर्थिङ्ग)-** बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली उपकरण अर्थिंग प्रासंगिक मानक के अनुसार होगी।

122(ठ). नई प्रौद्योगिकी का अंगीकरण- बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली से संबंधित किसी भी नई प्रौद्योगिकी के लिए, प्राधिकरण द्वारा तकनीकी विनिर्देश एक अलग आदेश के माध्यम से जारी किए जा सकते हैं।

122(ड). अन्य आवश्यकता**- (1)** बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष अग्नि सुरक्षा लेखा-परीक्षण, प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले मानक संचालन प्रक्रिया में प्रदान किए गए अनुसार, इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(2) बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के स्वामी उपरोक्त अग्नि सुरक्षा लेखा-परीक्षण रिपोर्ट निरीक्षण के समय विद्युत निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा।

(3) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अग्नि सुरक्षा अधिकारियों को बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए विशिष्ट अग्नि जोखिमों को संबोधित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए:

परंतु महानिदेशक अग्नि सेवाएं ऐसे प्रशिक्षण के लिए दिशा-निर्देश इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर जारी करेगा।

स्पष्टीकरण: इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, यहां स्पष्ट किया जाता है कि विनियम 122 (क) से 122(ड) बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापनाओं पर लागू होंगे, जो 650 वोल्ट से अधिक वोल्टेज स्तर पर जुड़ी होंगी।

122(ढ). 650 वोल्ट और उससे नीचे जुड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापनाओं से संबंधित प्रावधान- 650 वोल्ट और उससे नीचे जुड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापनाएं प्रासंगिक मानकों के अनुरूप होंगी।"

6. उक्त विनियमों में, विनियम 136 के पश्चात, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"137. प्रासंगिक मानकों की सूची- प्राधिकरण इन विनियमों के अंतर्गत लागू होने वाले प्रासंगिक मानकों की एक सूची इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से तीन महीने के भीतर एक अलग आदेश के माध्यम से जारी करेगा।"

राकेश कुमार, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./807/2025-26]

टिप्पणी: भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में अधिसूचना सं. सी.ई.ए.-पी.एस.-16/1/2021-सी.ई.आई. प्रभाग, तारीख 08 जून, 2023 के द्वारा मूल विनियमों को प्रकाशित किया गया था।

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2026

F No. CEA-PS-16/1/2021-CEI Division.— Whereas public notice advertising the draft of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Amendment Regulations, 2025, was published in six newspaper dailies, as required by sub-section (2) of section 177 of the Electricity Act, 2003, read with section 53 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and sub-rule (2) of rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within the period of thirty days, from the date on which the copies of the said draft regulations were made available to the public;

And whereas copy of the public notice as advertised in the newspapers and the said draft regulations were made available to the public on the website of the Central Electricity Authority on 20th June, 2025;

And whereas the objections and suggestions were received from the public on the said draft regulations were considered by the Central Electricity Authority;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 177 and read with section 53 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Electricity Authority hereby makes the following amendments in the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2023, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Amendment Regulations, 2026.

   (2) They shall come into force on 1st April, 2027.

2. In regulation 2, in sub-regulation (1), after clause (e), the following clauses shall be inserted, namely: -

   "(ea) "battery energy storage systems" means a stationary system connected to the electricity system which is used to store electric energy by means of electrochemical materials, typically includes batteries, power conversion system, and battery management system;

   (eb) "battery management system" means a system which controls the batteries in order to obtain safe operation, it also balances the energy of batteries and monitors the status thereof."

3. In the said regulations, in regulation 2, in sub-regulation (1), after clause (zz), the following clause shall be inserted, namely: -

   "(zza) "power conversion system" in a battery energy storage systems refers to the integrated system of inverters, rectifiers, controllers and associated power electronics system that convert Direct Current power stored in the battery to Alternating Current power for injecting into the electricity system (discharging), and vice versa (charging).;

4. In the said regulations, in regulation 2, in sub-regulation (1), after clause (zzo), the following clause shall be inserted, namely: -

   "(zzoa) "walk in units or system" means a pre-fabricated building that contains battery energy storage systems and it includes doors that provide walk in access for personnel to maintain, test and service the equipment."

5. In the said regulations, after regulation 122, the following chapter and regulations shall be inserted, namely: -

"**Chapter XA**

Additional safety requirements for Battery Energy Storage System

122(A). Additional safety requirements for battery energy storage system-The regulations under this chapter shall be applicable to battery energy storage system which shall be in addition to the regulations provided from Chapter I to VII and XIV.

122(B). General safety considerations. -(1) The power conversion system used for charging and discharging the battery energy storage systems shall be designed for the chemistry of the battery to be charged;

(2) The battery energy storage systems shall be designed with two-fault tolerance to prevent catastrophic failures under all conditions, including but not limited to overcharge, over-discharge, short circuit, and operation outside specified temperature limits;

Explanation: For removal of doubts, it is hereby clarified that two-fault tolerance refers to the system's ability to continue to operate safely or shut down safely even after two independent faults have occurred.

(3) Testing of battery energy storage systems shall be carried out as per relevant standard;

(4) Fire and explosion protection at the levels of Cell, Module, Rack, Container and site-specific installation, shall be as per the relevant standards;

(5) (a) battery management system shall monitor and record voltage, temperature, and thermal runaway at cell, module and rack level as well as current at the rack level;

Provided that audio visual alarms shall be activated in case the monitored parameter exceeds the operating range as per original equipment manufacturer's specifications;

Provided further that battery management system shall stop charging and discharging of the battery when the temperature exceeds original equipment manufacturer's recommended values;

(b) power conversion system shall be capable of fully automatic and unattended operation, including synchronising with the electricity system and disconnecting from the electricity system and it shall include self-protective and diagnostic features to protect itself from damage in the event of component failure and abnormal operating parameters;

(6) (a) The coolant lines shall be routed and secured to mitigate leakage on live electrical parts;

(b) A failure of the liquid cooling system, including any fault in the cooling lines shall not result in a leakage that can cause short circuiting of the cells inside the battery pack or lead to a hazardous condition.

122(C). Battery container-(1) The battery energy storage systems container shall have explosion protection, with a forced ventilation system and automated louvers for safe release of the flammable gases and maintain internal pressure within safe limits;

(2) Ingress protection shall be provided as per the relevant standards;

(3) Walk in units or system, if applicable, including entrances and exit, of battery energy storage systems shall be as per the relevant standard.

122(D). Equipment location-A minimum space separation shall be provided for adjacent battery energy storage systems enclosures as well as nearest building, for various battery chemistries such as Lithium-Ion, Nickel cadmium and Lead Acid batteries as per relevant standard.

122(E). Ventilation. -(1) Heating, Ventilation and air conditioning and cooling systems for battery energy storage systems shall be installed for proper thermal management as per relevant standards;

(2) A suitable mechanism shall be provided to limit the concentration of flammable materials inside the enclosure of battery energy storage systems, in compliance to relevant Standard:

Provided that in the event of the mechanical ventilation system failure, the system shall initiate a shutdown to maintain the concentration of flammable materials in the battery container within safe limits.

122(F). Hazard detection and suppression system. -(1) battery energy storage systems shall have hazard detection systems for smoke, gas, heat and flame as per relevant standard and the same shall be monitored;

(2) Every battery container shall be provided with automatic fire suppression system as per relevant standard;

(3) The components of the installed fire suppression system shall be protected from ambient conditions and unauthorised access while ensuring ease of accessibility for inspection and maintenance.

122 (G) Electrolyte spill. -In case of batteries having acidic or basic aqueous electrolytes in liquid form, the electrolyte spills shall be contained as per relevant standards.

122(H). Lighting and signage. -(1) A separate emergency source of lighting with automatic initiation shall be provided in enclosed working spaces as per relevant standard;

(2) Location and specification of lighting and signage, as per relevant standard, shall support safe access and navigation to the site.

122(I). Security systems. -(1) battery energy storage systems installations shall be protected by fencing not less than 1.8 m in height so as to prevent unauthorised entry;

(2) The installation of closed circuit television, motion or break glass sensors, and alarm sets connected to a monitoring and response system shall be provided at appropriate locations.

122(J). Emergency stops. -(1) In case a safety issue or battery anomaly is detected, the affected section of battery energy storage systems shall automatically shut down within pre-set period as per original equipment manufacturer's specifications;

(2) Manual emergency stop buttons or switches or mechanisms shall be placed at easily accessible and visible locations.

122(K) Earthing. -battery energy storage systems equipment earthing shall be as per the relevant standard.

122(L) Adoption of new technology. -For any new technology related to battery energy storage systems, the technical specification may be issued by the Authority through a separate order.

122(M) Other requirement. - (1) An independent third party fire safety audit of the battery energy storage systems shall be conducted, as provided in the Standard Operating Procedure to be issued by the Authority, within a period of three months from the date of commencement of these Regulations;

(2) battery energy storage systems owner shall submit the above fire safety audit report to the Electrical Inspector at the time of inspection;

(3) The Appropriate Government shall ensure that Fire Safety officials are trained to address fire risks specific to battery energy storage systems:

Provided that the Directorate General Fire Services shall issue guidelines for such training within a period of three months from the date of commencement of these Regulations.

Explanation: For the purpose of this chapter, it is hereby clarified that regulations 122(A) to 122(M) shall apply for the battery energy storage systems installations, connected at voltage level exceeding 650 V.

122(N) Provisions relating to battery energy storage systems installations connected at 650 V and below.- The battery energy storage systems installations connected at 650 V and below shall be in compliant to the relevant standards."

6. In the said regulations, after regulation 136, the following regulation shall be inserted, namely: -

"137. List of Relevant Standards. - The Authority through a separate order shall issue a list of relevant standards applicable under these regulations, within three months from the date of commencement of these regulations."

RAKESH KUMAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./807/2025-26]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification No. CEA-PS-16/1/2021-CEI Division, dated the 8th June 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.03.31 16:22:18 +05'30'